हेमन्त सोरेन
HEMANT SOREN

मुख्यमंत्री
CHIEF MINISTER

अ0शा0प0सं0 H000033
दिनांक 01/05/2026

माननीय प्रधानमंत्री जी,

विषय : जनगणना 2027 में आदिवासी/सरना धर्म को पृथक पहचान के रूप में शामिल करने के संबंध में।

सर्वप्रथम मैं समस्त झारखण्ड वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वैश्विक विवादों के बीच आपने पूरे देश के मान–मर्यादा को बनाये रखा तथा देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक की व्यवस्था संचालन में सभी राज्यों को शामिल किया।

इसी क्रम में मैं आपको 2027 की जनगणना को प्रारंभ करने के लिए विशिष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। यह जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, किन्तु विभिन्न आपदाओं की पृष्ठभूमि में इसे परिस्थितिवश टालना पड़ा और अब आपके नेतृत्व में यह जनगणना संपादित किया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जनगणना कराने की पृष्ठभूमि से भली–भांति अवगत हैं एवं आपने सदैव देश के विकास में आकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों पर विशेष बल दिया है। किसी भी राष्ट्र की जनता, प्रक्षेत्र और क्षेत्र के विकास के लिए "तथ्य आधारित नीति" ही सर्वोत्तम मार्ग है, अन्यथा देश में असंतुलित विकास की परिस्थिति बनने की संभावना रहती है।

मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जनगणना 2027 की सम्पूर्ण कार्रवाई में राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग कर रही है एवं आज मैंने Self Enumeration कर आपके इस अभियान में छोटी सी भूमिका के निर्वहन करने का प्रयास किया है।

इस क्रम में मुझे यह जानकारी दी गयी है कि प्रथम चरण में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त Household धारित करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है

Kanke Road, Ranchi - 834 008 (Jharkhand)
Tel.: 0651-2280886, 2280996, 2400233 Fax.: 0651-2280717, 2400232
E-mail: chiefminister.jharkhand19@gmail.com

अथवा नहीं इसका अंकन भी किया जायेगा। इसी क्रम में यह तथ्य उभर कर आया कि प्रत्येक नागरिक से जुड़े व्यक्तिगत आकड़े का संकलन द्वितीय चरण में किया जायेगा। वर्ष 2021 की जनगणना की पृष्ठभूमि में मैंने आपको सरना धर्म की पृष्ठभूमि तथा आदिवासी समुदाय के अपने सरना धर्म के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को दृष्टिपथ में रखते हुए आगामी जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए पृथक आदिवासी/सरना धर्म कोड का प्रावधान रखने का अनुरोध किया था।

मुझे उम्मीद है कि जनगणना के द्वितीय चरण में धर्म से संबंधित जानकारी से जुड़े प्रपत्र/कॉलम में राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प, सभी आदिवासी समाज की भावना एवं राज्य सरकार की ओर से मेरे द्वारा आपसे किये गये विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य की आकांक्षा, आदिवासी समाज की भावना तथा विधानसभा के संकल्प मूलतः इस पृष्ठभूमि से है कि जनगणना मात्र आंकड़ों की गणना नहीं है बल्कि यह आंकड़ों की गहराई का भी विश्लेषण करती है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नीति निर्धारण, कल्याणकारी कार्य, संवैधानिक संरक्षण तथा तथ्य आधारित प्रशासन में किया जाता है। किसी समाज की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से होती है, वहीं दूसरी ओर यह उस समाज के विकास से जुड़े सभी आयामों को प्रभावित भी करती है।

देश की आजादी से पूर्व जनगणना प्रक्रिया में विभिन्न समाज द्वारा अपनाये जा रहे धार्मिक विशिष्टाओं, उनकी रीति–रिवाज व पहचान को अंकित किया जाता रहा है, किन्तु स्वतंत्र भारत में आदिवासी समाज के धर्म को अंकित करने की परम्परा नहीं रखी गयी। आदिवासी समाज के द्वारा अपनाये जा रहे सरना धर्म के विभिन्न विशिष्टताओं, अलग–अलग पूजा पद्धति एवं स्थल, कूल देवता/प्रकृति देवता एवं ग्राम देवता का प्रचलन, परम्परा एवं

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232

त्योहार, पुजारियों के द्वारा पूजा किये जाने की व्यवस्था का प्रचलन ही सरना धर्म को विशिष्ट धर्म के रूप में अलग पहचान देता है।

यह संभव है कि कार्य की महत्ता एवं विभिन्न आयामों में अलग–अलग समूह करने से जनगणना का कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और विलंब होने की संभावना बन सकती है, किन्तु यह भी विचारणीय है कि किसी समाज से जुड़े आयामों एवं उनसे संबंधित आंकड़ों को समुचित संकलन ससमय नहीं किया जाता है तो उस समाज विशेष के लिए नीतियों के निर्धारण पर प्रतिकूल एवं दूरगामी कुप्रभाव पड़ सकता है। आप अवगत होंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना में, अलग कोड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद, देश के 21 राज्यों के लगभग 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में स्वप्रेरणा से ''सरना'' अंकित कराया।

महोदय, झारखण्ड राज्य का गठन उसकी आदिवासी पहचान के आधार पर ही हुई है। झारखण्ड राज्य की नीति, योजनाएं तथा निर्णय यहाँ के स्थानीय लोगों की भावना पर आधारित है जिसके केन्द्र में विभिन्न समुदाय खासकर आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता है। ऐसी परिस्थिति में तथा इन सभी आयामों को जनगणना की प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। खासकर तब जबकि भारत तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत विकसित स्थिति में है एवं सारे कार्य Digital तरीके से किये जा रहे हैं, ऐसे में धर्म के कॉलम में सरना धर्म को, अथवा अन्य ऐसे सदृश्य धार्मिक अस्तित्व को मान्यता देते हुए अलग कोड दिये जाने से, आंकड़ों का संकलन बेहतर तरीके से किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।

मैं पुनः आपके आदिवासी समाज के प्रति विशेष संवेदना की अपेक्षा रखते हुए समस्त झारखण्डवासियों की ओर से अपने पूर्व के 2023 के आग्रह, विधानसभा के संकल्प, आदिवासी समाज की भावना तथा झारखण्ड राज्य की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आग्रह करता हूँ कि द्वितीय चरण की जनगणना के लिए निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र में सरना धर्म (साथ

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232

ही अन्य सदृश्य धार्मिक व्यवस्था) को अलग कोड देते हुए उसकी पहचान बरकरार रखने का निर्देश देना चाहेंगे।

यह राज्य और आदिवासी समुदाय आपकी इस महान कार्य के लिए सदैव ऋणी रहेगा।

जोहार !

(हेमन्त सोरेन)

श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली– 110001

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232